# बिहार पशु चिकित्सा संघ

कार्यालय - विद्यापति मार्ग, पटना-800001

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता

प्रधान महासचिव

मो० 7488601083

e-Mail : bvapatna@gmail.com


पत्रांक- 44 दिनांक- 10.05.2020

सेवा में,

सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी / प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को दंडाधिकारी / गैर विभागीय कार्य में ड्यूटी लगाये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदन पूर्वक कहना है राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में सभी सरकारी पशुचिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खुले रहेंगे, जहाँ प्रतिदिन पशु चिकित्सा पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है। इस जानकारी के बावजुद विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी / प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी की ड्यूटी COVID – 19 Quarantine Centre या अन्य कार्यों में लगा दी गई है (छायाप्रति संलग्न), जिससे पशुचिकित्सालयों को बंद करने की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा सिर्फ वर्त्तमान परिस्थिति में ही नहीं है, बल्कि पूर्व में भी समय–समय पर इन अधिकारियों की ड्यूटी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दंडाधिकारी / गैर विभागीय कार्य में लगा दी जाती है (छायाप्रति संलग्न), जो कि राज्य सरकार के आदेश (छायाप्रति संलग्न) और माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न) का स्पष्ट उल्लंघन है। इसका मूल कारण प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी का स्थापना प्रखंड कार्यालय में होना है।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी की स्थापना जिला पशुपालन पदाधिकारी के अन्तर्गत करने की महती कृपा के साथ – साथ भविष्य में किसी भी भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी / प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी की ड्यूटी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दंडाधिकारी / गैर विभागीय कार्य में नहीं लगाये जाने संबंधी आदेश भी निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त

विश्वासभाजन

BMukta

(डा0 विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव